



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशोकनगर/भू.रा./2018/

निगरानी - 2682/2018/अशोकनगर/भू.रा.

1. कु0 दीक्षा नाबालिग पुत्री देवेद्रसिंह
2. कु0 साक्षी नाबालिग पुत्री देवेद्रसिंह सरपरस्प पिता देवेन्द्रसिंह पुत्र रणधीर सिंह रघुवंशी, निवासीगण- ग्राम महिदपुर, तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर म.प्र.----- आवेदकगण

बनाम

आशीष पुत्र श्री अमरसिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम बडोरा, तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर म0प्र0-----अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र0
भू-राजस्व संहिता, 1959 के विरुद्ध न्यायालय अपर
कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक
05/अ-5/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31.03.
2018 एवं 09.11.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत।

3

रविसिंह धारु राफे
02/05/18 को
प्रारंभिक बर्क हेतु
05-05-18 दिनांक।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Singh Dhakar
Advocate

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.2682/2018/अशोकनगर/भू.रा. जिला-अशोकनगर

कू0 दीक्षा नाबालिग विरुद्ध आशीष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.08.2019	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 05/अ-5 /2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2018 एवं 09.11.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को आयुक्त, ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>3</p> <p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>	